

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239874 CG-DL-E-27102022-239874

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4820] No. 4820] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5038(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, 1960 के प्ररूप 5 में पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:--

"5. एक पात्र नागरिक, जो ------ वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात् 1 अप्रैल, -----, 1 जुलाई, ------ या 1 अक्तूबर------- में से किसी को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्ररूप 6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा।"।

[फा.स.एच-11019/7/2022-विधायी.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

7185 GI/2022 (1)

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 2750(अ), तारीख 10 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन नियमों का का.आ. संख्यांक 2802(अ), तारीख 17 जून, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2022

- **S.O.** 5038(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the Registration of Electors (Second Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2**. In the Registration of Electors Rules, 1960, in Form 5, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:-
 - "5. An eligible Citizen, who is going to attain the age of eighteen years on any of the subsequent qualifying dates in the year, that is to say, the 1st April,, the 1st July,, or the 1st October,, may also file his or her claim for inclusion of his or her name in the roll, in Form-6, in advance, starting from the date of notice, and the same shall be considered and decided in the respective quarter of the year with reference to the respective qualifying date."

[F.No.H.11019 /07/2022-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Note – The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary *vide* notification number S.O. 2750(E), dated the 10th November, 1960 and the rules were lastly amended *vide* number S.O. 2802(E), dated the 17th June, 2022.